

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

प्रार्थी

अप्रार्थी



सुमेर पुत्र चेनाराम

बनाम

सरकार

प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र (251 'क' आर.टी.एक्ट)

मुकदमा नं. 15/2024

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
<p>07.06.2024</p> <p>3.7. म</p> <p>15.11 म</p>	<p>प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शर्मा के अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। तहसीलदार तहसील जायल को पक्षकारान की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी हो। मिसल दिनांक 03.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल </p> <p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की निर्दिष्ट की भूमण अलकाश भाग में हुक्म, इतिहास प्रकरण इसके समक्ष विचारक (1.11.2024) को प्रस्तुत करें।</p> <p>पत्रावली सहायक कलक्टर जायल को आगे की चलाया जाये है। अतः पत्रावली को इसी स्तर पर जारी किया जाये। पत्रावली केवल मुद्रा धरत दाखिल दस्तावेज</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल </p>	